अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय)
नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली - 110070
फोन : 011-29581050, 011-29581515
वेबसाईट : www.aicte-india.org

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में तकनीकी महाविद्यालयों द्वारा अपनाई जा रही किसी भी अनुचित पद्धति के संबंध में जानकारी मांगने संबंधी सार्वजनिक सूचना

माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश द्वारा डब्ल्यू. पी. 27382/2023 में दिनांक 02 नवंबर, 2023 के निर्णय के अनुसरण में, अभातशिप एतद्द्वारा जन सामान्य से उनके संज्ञान में आए, (यदि कोई हो), मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के ऐसे महाविद्यालयों/ उच्च शिक्षा संस्थानों की जानकारी/ विवरण देने का अनुरोध करती है जो ऐसे नियमित कर्मचारियों को महाविद्यालयों/ उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुचित प्रथाओं के साथ नियमित रीति में एम. टैक. / उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन. ओ. सी.) / अध्ययन अवकाश प्राप्त किए बिना एम. टैक./ उच्च शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं अथवा कर रहे हैं।

महाविद्यालयों/ उच्च शिक्षण संस्थानों (नियोक्ता संस्थान के साथ-साथ महाविद्यालय जिसमें अध्ययन किया जा रहा है) द्वारा की जा रही ऐसी अनुचित प्रथाओं के बारे में कोई भी जानकारी इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप) को दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ ई.मेल cro@aicte-india.org पर भेजी जा सकती हैं।

ठोस साक्ष्यों के बिना किसी जानकारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रो. राजीव कुमार
सदस्य सचिव

विज्ञापन संख्या - विनियमन ब्यूरो/ अभातशिप/03(01)/2024

~~12x10 Cms~~

CBC 21300/12/0005/2324